दिनांक 06 अक्टूबर 2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम करेगा कार्रवाई, आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने दिए निर्देश

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई की जाएगी इसके निर्देश निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों को दिए हैं! इसके तारतम्य में नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त ए0 के0 द्विवेदी ने जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों की टीम को इस बाबत निर्देशित किया है! श्री द्विवेदी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि लीगल होर्डिंग पर भी अवैध रूप से विज्ञापन मिलेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी इसके लिए नियुक्त एजेंसी को भी निर्देश दिए गए है! सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा की टीम अवैध होर्डिंग का निरीक्षण कर सूची तैयार कर रही है, अब ऐसे अवैध होर्डिंग पर निगम सख्त कार्रवाई करेगी! समय-समय पर तोड़फोड़ दस्ता के माध्यम से निगम क्षेत्र अंतर्गत लगे अवैध होर्डिग्स को हटाने का कार्य किया जाता रहा है! विगत कुछ महीने पूर्व निगम ने 30 से अधिक अवैध होर्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई की थी। बता दें कि निगम के राजस्व विभाग द्वारा अवैध होर्डिंग पर अंकुश लगाने के लिए नंबर का स्टीकर जारी किया गया है जोकि वैध होर्डिंग पर लगाए गए हैं एवं जो होर्डिंग अवैध है उन पर स्टीकर नहीं लगा हुआ है ऐसे होर्डिंग को चयनित कर इस पर कार्रवाई की जाएगी! उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने अपील की है कि जहां-जहां भी अवैध होर्डिंग लगे हैं उन स्थलों से होर्डिंग लगाने वाले लोग स्वयमेव अपने होर्डिंग हटा ले अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा अवैध होर्डिंग के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी!